न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —59 / 2018 अपील (RCMS/2018/00094)
पंजीयन दिनांक —08.05.2018
निर्णय दिनांक —02.04.2019

1. श्री डालू पिता उदा जी जाट, निवासी नाई का ढाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता श्री मांगू जाट, निवासी नाई का ढाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री रमेश पिता श्री मांगू जाट, निवासी नाई का ढाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती केसर बाई पत्नि श्री मांगू जाट, निवासी नाई का ढाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
4. श्री रूपा पिता श्री घीसा जाट, निवासी नाई का ढाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री खेमराज डांगी — वकील अपीलान्ट
2. श्री ओम प्रकाश डागलिया — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1 से 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या—537 / 2016, श्री देवीलाल बनाम रूपा में उपखण्ड अधिकारी, मावली जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 02.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मावली जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या—537 / 2016, श्री देवीलाल बनाम रूपा में पारित निर्णय दिनांक 13.06.17 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 श्री देवीलाल, रमेश एवं श्रीमती केसर बाई द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर कथन किया कि गांव नाई का ढाणा पटवार मण्डल वड़ियार, तहसील मावली जिला उदयपुर में उनके अधिकार आधिपत्य कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 206/142 रकबा 1 बीघा स्थित है। उक्त आराजीयात के लगती हुई रेस्पोडेंट संख्या–4 के अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 142/2 रकबा 1 बीघा स्थित है। रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा उनके आराजीयात की भूमि पर नाजायज कब्जा किये जाने के प्रयासों के चलते उनके मध्य सीमा को लेकर विवाद रहता हैं। जिससे उनके पक्ष एवं रेस्पोडेंट संख्या–4 के विरूद्ध पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाया जावें।

- रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 के प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा प्रकरण संख्या–537/2016 से दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा दिनांक 13.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–2017 कैम्प बड़ियार में रखी जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया गया और निर्णय दिनांक 13.06.2017 से मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बडियार की आराजी संख्या–206/142 रकबा 1 बीघा भूमि के पश्चिम दिशा की सीमांकन करा पत्थरगढ़ी कराई जाने का आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 उपस्थित। अन्य पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 26.03.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा नाई का ढाणा में स्थित आराजी नम्बर 206/142 एवं आराजी नम्बर 207/143 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जो अपीलान्ट डालु के कब्जे में 1986 से लगातार बिना किसी अवरोध के चली आ रहा है। रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कब्जा नहीं है, इस भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट केसर बाई, रमेश व देवीलाल ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपजिला कलक्टर, मावली में निषेद्याज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है तथा अपीलान्ट ने उक्त वाद का जवाब व अपना काउंटर क्लेम घोषणा व निषेद्याज्ञा हेतु दिनांक 25.08.2015 को न्यायालय उप जिला कलक्टर, मावली में प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है जिसके मुकदमा नम्बर 311/2014 वाद पत्र है। उक्त वाद के विचाराधीन होते हुए भी रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 ने उक्त तथ्य को छिपाते हुए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथित आदेश पारित गया, जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है, न अपीलान्ट को सुना है व मिली भगत से आदेश कराया जबकि विवादित भूमि पर रेस्पोडेंट देवीलाल आदि का कब्जा नहीं है। ऐसी अवस्था में पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। चुंकि प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे उसको कथित आदेश की जानकारी होना संभव नहीं है, जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की गई। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के मध्यनजर उक्त आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित हो रहे है यह स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 जा.दी. प्रस्तुत किया गया।

वकील रेस्पोडेंट का कथन की उन्होने उक्त वर्णित आराजीयात पर आईसीआईसीआई बैक से ऋण ले रहा है, यह कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है क्योंकि जमाबन्दी में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उन्होनें अपने हिस्से की भूमि को ही रहन किया है, अपीलान्ट का आज भी अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा है।

अंत में विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय व विधि सम्मत है। मौजा नाई का ढाणा में स्थित आराजी नम्बर 206/142 रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 के खातेदारी दर्ज होकर कब्जे काश्त है। अपीलान्ट उक्त वर्णित आराजीयात न तो खातेदार काश्तकार है, न ही इसका कोई मौके पर कोई कब्जा है, ऐसे में अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या–1, 2 व 3 ने अपीलान्ट व रेस्पाडेंट संख्या–4 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, मावली में स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है, उक्त वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 रा.का.अधि. मु.न.237/2014 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बड़ीयार की आ.न.–207/143 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा व आ.न.206/142 रकबा 1 बीघा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आदेश किए। अपीलान्ट की उक्त वर्णित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजीयात के सटमा कोई जमीन नहीं है, न ही अपीलान्ट का कब्जा है, ऐसी सुरत में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। उक्त पत्थरगढ़ी के आदेश से अपीलान्ट को पक्षकार या सुचना देना आवश्यक नहीं है, अपीलान्ट केवल अधीनस्थ न्यायालय के पत्थरगढ़ी के आदेश को रूकवाने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अंत में विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 द्वारा अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि उपरोक्त आराजीयात के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य (रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 व रेस्पाडेंट संख्या–4) के मध्य कब्जे एवं सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उनके द्वारा राजस्व रेकार्ड की स्थिति एवं नक्शा इत्यादि प्रस्तुत किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का परिक्षण कर मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 206/142 रकबा 1 बीघा भूमि के पष्चिम दिशा की सीमाकंन कराई जाने के आदेष पारित किए। दौराने अपीलीय प्रक्रिया अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, न ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होने के कारणों को स्पष्ट कर पाया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण विवेचना, उनके समक्ष प्रकरण में उभय पक्षों को सुनते हुए, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली का आदेश दिनांक 13.06.2017 यथावत रखा जाता है। उपखण्ड अधिकारी, मावली यह सुनिश्चित करे कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में सीमांकन व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,उदयपुर